MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

16-47 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 330 and 332)

श्री सूरज भान (ग्रम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल ग्राज मैं हाऊस के सामने पेश कर रहा हूँ उसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले साल जिस वक्त इस हाउस में यह बात पेश की गई थी कि शेडयूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन 10 साल के लिए ग्रौर बढ़ाया जाय, उस वक्त भी मैने एक छोटी सी अमेण्डमेंट पेश की थी ग्रौर वही ग्रमेण्डमेंट में बिल की सूरत में ग्राज भी ग्रापके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है—इस वक्त सविधान में जो लफ्ज हैं उनके ग्रनुसार शडयूल्ड ट्राइब्स ग्रौर शडयूल्ड कास्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन स्टेट लेजिस्लेचर ग्रौर पालियामेन्ट में "It should be as nearly as possible." मैंने ग्रपने संशोधन में कहा है "It should not be less than their population." मेरी माग सिर्फ इतनी है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स को उनका हक उनकी ग्राबादी के हिसाब से दिया जाय—इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता।

मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त जब मेरी ग्रमेंडमेंट जेरे-बहस ग्राई तो ग्रपोजीशन पार्टीज के सभी भाइयों ने उस वक्त मेरी मदद की। मैं समझता हूँ उस वक्त मेरी ही थोड़ी कमी थी—मैंने उस वक्त कोशिश तो की थी कि रूलिंग पार्टी के भी सभी भाई इसको सपोर्ट करें, लेकिन वह नहीं कर पाये। उपाध्यक्ष महोदय, शेडयूल्ड ट्राइब्स के साथ इस हाउस के बाहर मुल्क में कितनी ज्यादती होती है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ग्रभी कल हमने उड़ीसा के बारे में बहस की थी, ग्राज भी सुबह ग्रापने ग्रखबारों में पढ़ा होगा कि तीन ग्रौर ग्रादमियो को वहां गोली से मार दिया गया। मैं उन इन्सीडेन्ट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ इस बिल को लाया हूँ कि ग्रगर S.C./S.T. को बाहर इंसाफ नहीं मिलता, तो कम से कम इस हाउस में तो इंसाफ मिल जाय।......

श्री बं० ना० कुरील (राम स्नेही घाट) : कौन सी स्टेट में ?

श्री सूरज भान : भाई कुरील पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट, उस स्टेट का नाम बताने के साथ ग्रौर स्टेटों के नाम भी बताऊ, यह ग्रच्छा नहीं है। यह सवाल स्टेट का नही है, मेंटेलिटी का है। उड़ीसा हो, ग्रांध्र हो, यू० पी० हो, पजाब हो—हर जगह हिन्दुस्तान में उनके साथ ज्यादती हो रही है। इसलिए मेरा सवाल उसूल का है, उनके साथ हो रही ज्यादती का है किसी एक स्टेट का नहीं है।

जिस वक्त वह बिल पेश किया गया था, उस वक्त स्वर्गीय श्री गोविन्द मेनन जी ने यह बात कहकर मेरी उस ग्रमेंडमेंट का विरोध किया था—मैं उन के ही ग्रल्फाज ग्रापके सामने रखता हूं—

"I cannot accept this amendment because that will make it unworkable 'As nearly as may be' should be there."

इन ग्रल्फाज को सुनने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी न पूछा कि ग्रापका जवाब क्या था, मैंन समझा नहीं है। तब उन्होंने दोबारा उसी चीज को रिपीट करते हुए कहा कि यह वर्केबिल नहीं है। तब श्री वाजपेयी जी ने जो शब्द यहाँ कहे थे—मैं उनको आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था—

"उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी कांग्रेस के मेम्बर यह ग्रारोप लगा रहे थे कि जनसंघ के सदस्य

[श्री सूरज भान]

इस विधेयक के पक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं। अब हमारी यह मांग है कि शेडयूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें दी जायें, लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। इससे इन लोगों की असलियत खुल गई है।"

उपाध्यक्ष महोदय, बात सीधी सी है। जब सब अपोजीशन पार्टीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो कांग्रेस की रूलिंग पार्टी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वह भी इसको सपोर्ट करे। वैसे यह एक खासी फैशन बन गया है कि S. C./S. T. का जिक्र हर बात में किया जाय। उसके सिलसिले में मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहता। कल यहां पर एक छोटा सा विधेयक डिस्कस हो रहा था पोस्टल आर्डर के सिलसिले में कि उसकी रकम दस रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी जाये। उस पर बोलते हुए श्री रणधीर सिंह जी ने यहां पर कहा था कि देहातों में भी मेल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाये ताकि हरिजनों को चिट्ठियां जल्दी मिल सकें। वे उनका ख्याल यहा तक रखते हैं कि उनको चिट्ठियां भी जल्दी मिलें--मैं इस बात को एप्रीशिइट करता हूं लेकिन जहां तक उनकी असल मांग का ताल्लुक है कि आबादी के हिसाब से उनको सीट्स मिल जायें तो यह बात दिमाग में नहीं बैठती कि उस की मुखालिफत की जाये जबकि हर जगह कहते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट्स को हम यह देना चाहते हैं वह देना चाहते हैं। और फिर मैंने जो बात रखी है वह कांस्टीट्यूशन में पहले से मौजूद है। मैं आर्टिकिल 332(4) को कोट करना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन में आसाम के आटोनामस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो कहा गया है मैंने बिल्कुल वही रखा है। उसमें लिखा है :

> "The number of seats reserved for autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats of that Assembly a proportion not less than their population."

एग्जेक्टली यही अल्फाज मैंने भी कहे हैं। मेरा कहना है कि जब आसाम के आटोनामस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यह वर्केबिल हो सकता है तो फिर शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए वर्केबिल क्यों नहीं हो सकता है? मेरी दर्खवास्त है कि इस बिल को मान लिया जाये। इससे एक तो यह होगा कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज को इन्साफ मिलेगा और दूसरी बात यह है कि कांस्टीट्यूशन के डिफरेन्ट क्लाजेज, 330 और 33.(4) में भी यूनिफार्मिटी आयेगी।

16 50 hrs.

[Shri K N. Tiwary *in the Chair*]

एक बात आखीर में और कहना चाहता हूं और वह यह कि इसको यूनानिमसली पास किया जाये। सर्विसेज में उनके लिए रिजर्वेशन है, एक फिक्सड पर्सेन्टेज है लेकिन वह पूरा नहीं होता है। उसके लिए कह दिया जाता है कि सूटेबिल कैंडीडेट्स एवेलेबिल नहीं हैं। तो वह सूटेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है, उसमें किसी को भी सूटेबिल या अन-सूटेबिल कहा जा सकता है लेकिन पोलिटिकल फील्ड ही एक ऐसा फील्ड है कि उसमें सीट्स फिक्सड हो जायेंगी तो वहां पर किसी को सूटेबिल या अनसूटेबिल नहीं कहा जा सकता है। सर्विसेज में तो फिक्सड है लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि यह अनसूटेबिल है इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस फील्ड में लाजिमी तौर पर आबादी के मुताबिक रखना चाहिए क्योंकि यहां पर कह नहीं सकते हैं कि यह अनसूटेबिल है। किसी पोलिटीशियन को अनसूटेबिल कहेंगे तो वह उनके ऊपर उलटा ही पड़ेगा। इसलिए उसको एवायड करते हुए उनके नम्बर को कम रखा गया है। उनका नम्बर और भी कम हो गया

है—मैं आपके सामने सेन्सस के आंकड़े रखता हूं और बतलाना चाहता हूँ कि सेन्सस में भी उनके साथ कितनी ज्यादती की गई है। यह एक मोटी सी बात है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज में फेमिली प्लानिंग पापुलर नहीं है। इस हिसाब से उनकी पापुलेशन ज्यादा बढ़नी चाहिए लेकिन सन् 1961 की मर्दुम शुमारी के आंकड़े कहते हैं कि कंट्री की पापुलेशन एज ए होल 21.55 बढ़ी है जबकि शेडयूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन 17.04 प्रतिशत ही बढ़ी है यानी रिलेटिवली उनकी पापुलेशन कम हुई है। शेड्यूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन 1951 में सेन्सस के मुताबिक कन्ट्री की पापुलेशन में परसेन्टेज के हिसाब से 15.32 थी लेकिन 1961 में वह बढ़ने के बजाये 14.67% ही रह गई। यह नहीं माना जा सकता कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन घट जायेगी लेकिन आंकड़े मौजूद हैं। यह आंकड़े किस तरह से इकट्ठे होते हैं वह एक अलग घिनौना मामला है। जानबूझ कर उनको S.C./S.T. लिखा नहीं जाता है। 1951 की सैंसस में कहा गया था कि हम क्लासलेज सोसायटी चाहते हैं, कास्ट्स उड़ जायें लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स रेजोल्यूशन में गड़बड़ी हो जायेगी इसलिए केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स का नाम लिखा जाये। इस प्रकार केवल S.C. की जात पूछने पर बहुत से शहरों में रहने वाले S.C. लोगों ने शरमाते और कहीं-कहीं डरते हुए अपने आप को S. C. नहीं लिखवाया। 51 के बाद 61 में उनकी पापुलेशन बढ़नी चाहिए थी लेकिन वह घट गई। उसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पंजाब में केशधारी शेडयूल्ड कास्ट्स को सिख लिख दिया गया। यही कारण है कि उनकी आबादी घटती जा रही है। एक तरफ तो यह षड़यंत्र चल रहा है कि उनकी आबादी घटाई जाये, जानबूझ कर उनको घटाकर शो किया गया है और फिर उसके बाद उस घटी हुई पापुलेशन की बेसिस पर भी उनको सीटें नहीं दी जाती हैं। अब जहां तक सेन्सस की बात है कि ठीक ढंग से उनकी पापुलेशन रिकर्ड हो उसको तो हम बाद में उचित समय पर देख लेंगे लेकिन आज सवाल यह है कि स्टेट असेम्बलीज और पार्लमेंट में पापुलेशन के मुताबिक सीट्स मिल जायें।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसको इलस्ट्रेट किया जाये कि इसका कितना फायदा होगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर मेरा बिल मान लिया जाता है तो लोक सभा में मेक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट की एक एक सीट बढ़ेगी। इसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है जैसे हरयाणा है तो वहां की असेम्बली में, चूंकि वहां पर शायद कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है इसलिए वहां पर बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से मैक्सिमम एक सीट S. C की बढ़ सकती है और हो सकता है कि पहले से ही परसेन्टेज के मुताबिक हो। इसलिए कम से कम उसूल इन्कारपोरेट होना चाहिए और जो आपको देना है वह हिसाब से दीजिये।

सब कुछ अपोजीशन पार्टीज ने मेरे अमेन्डमेन्ट का साथ दिया है। मैं समझता हूँ हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्ज भाइयों के जजबात का, उनकी भावनाओं का आदर होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य मेरे इस बिल को सपोर्ट करेंगे। वरना आखीर में मुझे एक यह शेर कहना पड़ेगा :

साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर
अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते।

इस उम्मीद के साथ कि मेरा यह बिल पास हो जायेगा, मैं इसको सदन में रखता हूँ।

*SHRI SEZHIAN (Kumbakonam) : Mr. Chairman, Sir, on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam to which I belong, I

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri Sezhian]

wholeheartedly welcome and support the Constitution (Amendment) Bill introduced by my hon. friend, Shri Suraj Bhan. Either by passing this Bill or by accepting the basic principle behind this Bill, we cannot claim that we have achieved anything significant. By passing this Bill, it might be that 7 or 8 additional seats would be made available for the representatives of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this House.

The main objective of this Bill is that to whatever extent it is possible and whenever any opportunity arises, the Parliament and the State Legislatures should try to do everything in their power for the emancipation and upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes, who are today living in filthy slums in the midst of untold miseries and utter penury. I am of the opinion that this Bill has been introduced by my hon. friend guidedly soley by this motive,

In December, 1969 when the Constitution Amendment Bill seeking to further extend the period of reservation of seats to the scheduled castes and scheduled tribes by 10 years, that is to say, from 20 years from the commencement of the Constitution to 30 years, the intention was to extend a helping hand in their progress The Constitution was amended suitably. Though at that time the motive behind the Amendment was not appreciated in full by one and all, nobody could deny the basic philosophy behind that Amendment.

Some people might ask: For how many more years we are going to have reservation of constituencies for these people ? Should not the Indian polity become an integrated and homogeneous society ? We all belong to one country and to one nationality. What then is the justification for having reserved considerations ? In the beginning this reservation was for a period of 10 years. Then it was extended to 20 years and now we have further extended it to 30 years It might become necessary to have such a reservation even for 40 years or 50 years. So long as the scheduled castes and scheduled tribes are suppressed and oppressed, so long as a section of the Indian society is allowed to suffer under the handicaps of caste and communal discriminations, it is necessary to make available to them this reservation and protection to safeguard their interests, irrespective of the period involved.

17.00 hrs.

Mahatma Gandhi in 1930 made an attempt to introduce this system of reserved constituencies for the scheduled castes. As a result of his talks with Dr. Ambedkar, it was agreed that though there would be reserved constituencies, the representatives of these people should be elected by all sections of the community. But, for how long it is conducive to continue such a system of reservation ? No doubt there would be real and complete democracy in the country only when the reserved constituencies are done with. But, when there is social discrimination and social disability by virtue of one's birth, how can there be real democracy ? The son of a poor man might become rich ; similarly, the son of an illiterate might educate himself and attain a certain status in the society. But, a person born in a scheduled caste family has no salvation at all. That is the position obtaining in the society today. Only when this position changes, there can be real democracy in the conntry about which we talk here and outside.

We are expounding the philosophy of democracy in forums such as this House and outside, we may be able to derive some sort of satisfaction But, if we want real democracy to grow and thrive in the country, then all the social inequities and taboos born out of caste considerations must be done with ; an atmosphere of fraternal feelings should pervade throughout the country which will enable an integrated society to emerge.

For centuries, the people, who are sweating and toiling in season and out of season to provide the Community at large the necessaries of life such as food are wallowing in the bottomless pit of pitiless poverty. They are living in secluded slums as scheduled castes. We talk of racial discrimination practised in America against the Negroes and we raise our voice high in the United Nations. Certainly it is just, fair and necessary. At the same time, we have to pay attention to the drawbacks prevalent in our society here. The scheduled caste people are of the same complexion like

anybody else ; they belong to this country. And, yet they are segregated and discriminated against ; they are dubbed as untouchables. The Founder-leader of Dravida Munnetra Kazhagam, Arigner Anna, assumed the role of an untouchable in a drama and proclaimed on the stage that the untouchables are those who do not touch others' property and those who shy away from committing improprieties ; such a people have been considered by others as untouchables The people who labour hard so that others may live well are wilting under the pressure of this social evil. They are living in the lowest rung of the society. The untouchability cannot be eradicated simply by statutes. Unless the caste barriers of Hindu community are blown apart, the practice of untouchability can never be put an end to. If the reservation of constituencies is to be abolished, then the social discriminatiou practised against these people should be rooted out first. This has no parallel anywhere in the world. In fact, this erodes the strength of the country. All efforts must be made to blot out this stain on the fabric of our polity.

This problem has been referred to very clearly in the Report of Elayaperumal Committee submitted last year. I quote :

> "Any attempt to remove untouchability without striking at the root of the caste system is simply to treat the outward symptoms of a disease and to draw a line on the surface of water. Untouchability cannot be abolished in this country unless the social order is changed establishing new values and for this purpo e the values based on the Hindu religion must be changed first

If we seek to establish democratic traditions in the country, if we seek to end the system of reservation for these people in the Parliament and State Legislatures, if we want to usher in an era of equality, without cutting at the very root of untouchability and segregation practised in our country, it would only amount to drawing a line on the surface of water. The caste distinctions must go. Only in a casteless society India will be one nation and the society will prosper.

I would like to appeal to the Members of Jan Sangh, who propagate the theory of Indianisation, that they should turn their wrath on the evils of casteism and endeavour earnestly to abolish for ever the practice of untouchability and social discrimination. I hope that the Minister of Law would also extend his support to this Amendment Bill moved by Shri Suraj Bhan. Supporting this Bill wholeheartedly, I conclude my speech.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जो बिल हाउस के सामने श्री सूरज-भान ने पेश किया है मैं उस की स्पिरिट की दाद देता हूँ और चाहता हूँ कि जो मांग इसमें की गई है उस पर गवर्नमेंट पूरे जोर से विचार करे। जो शिकायत हरिजनों भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड टाइब्ज के भाइयों की है वह बिल्कुल सही बात है। सैकड़ों नहीं हजारों सालों से इस देश में उस करोड़ों आदमियों के तबके के साथ, जो इस देश की जान है, जो कमाऊ पूत है. देश की तमाम दौलत पैदा करता है, समाज ने और हकूमतों ने ठीक सलूक नहीं किया है। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस सरकार को कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में सबसे पहले हिन्दुस्तान के आजाद होने पर जो हमारा पिछड़ा तबका है हरिजनों का, बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का, उस के लिए विधान सभाओं में रिजर्वेशन किया गया। इसके अलावा सर्विसेज में भी और आर. पी० ऐक्ट की तहत बहुत सी बातें की गई। लेकिन मैं समझता हूं कि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये था।

श्री सूरज भान ने जो बात यहां कही है उस में बड़ा वजन है और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरीके से उनकी शिकायत दूर होनी चाहिए। मैं एक वकील होने के नाते महसूस करता हूं कि अगर यह अमेंडमेंट मंजूर किया गया तो उसमें सारे आर० पी० ऐक्ट में और उसके अलावा जितनी कांस्टिट्यूएन्सीज हैं उनका डिलिमिटेशन करके सबको तब्दील करना होगा। हम ने शुरू में दस साल के लिए यह चीज की थी, लेकिन मैं उन आदमियों में हूं जो यह समझते हैं कि दस साल में उनका पिछड़ापन दूर नहीं होगा। मैं चाहता तो हूँ कि चौबीस घंटा

[श्री रणधीर सिंह]

में वह दूर हो जाये, लेकिन जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उसमें दस साल में उनकी गरीबी और पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। जो समाज की एक्तमादी हालत है उसमें शायद दस साल के लिए उसको और बढ़ाना पड़े। लेकिन इतना होने के बावजूद जो चीज कही गई है कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 332 में कि :

> "In Proportion to their population as nearly as possible"

यह बड़ी शदीद चीज है जिस पर ला मिनिस्टर ध्यान दे रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इस को महसूस करती हैं। यह बात भी सही है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी हरिजनों के लिए जो कुछ कर रही है, उसकी मुझे जानकारी है। इसकी कांस्टिट्यूशनल और दूसरी इम्प्लीकेशंज क्या होंगी, इस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ भाई ऐसा महसूस करते हों कि दिखावे के तौर पर हमदर्दी दिखाई जा रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जो मैम्बर यहां बैठे हुए हैं, इनमें कई इस तबके के भाइयों की बदौलत ही चुने जा सके हैं, इन्हीं की बदौलत यहां आ सके है। इस वास्ते अगर हम इनकी सहूलियतों में वृद्धि करने की बात करते हैं तो इन पर कोई एहसान नहीं करते है। इनका जितना भला किया जाए उससे न सिर्फ ये बल्कि भगवान भी खुश होगा। मैं मानता हूं कि गरीब जो आदमी हैं, जो पिसे आ रहे आदमी हैं, जो रगड़े जाते हैं, जो डाउन ट्राडन हैं जो बाल्मीकि हैं, जो धानक हैं, चमार है, शेड्यूल्डकास्ट और ट्राइब्ज के हैं, आदिवासी हैं, ये सब हजारों सालों से पिछड़े चले आ रहे हैं। इनका भला अगर हम करते हैं तो इन पर कोई एहसान हम नहीं करते हैं। इन भाइयों को हमने पिछड़ा हुआ रखा है इक्तसादी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, यह हमारे मुल्क पर एक धब्बा है। मैं लफ्फाजी बात नहीं कह रहा हूं। अपने दिल की बात कह रहा हूं। इनको हमें हर तरह से आगे लाना होगा।

एक बात मेरे नोटिस में लाई गई है। इन प्रोपोर्शन टु पापुलेशन कोई 133 या 134 सीट्स इनको मिलेंगी। पूरे जोर से मैं कहता हूं कि इनको ये सीट्स मिलें और आबादी के लिहाज से जितनी बनती हैं इनको मिलनी चाहियें। इस वक्त 114 के करीब सीटें इनको मिली हुई हैं।

श्री सूरज भान : 77 है।

श्री रणधीर सिंह : मेरी इनफर्मेशन है कि 112 या 114 हैं।

श्री सूरज भान : आप राज्य सभा को भी शामिल कर रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह : एज नीअरली एज पासिबल के हिसाब से 1.2 हैं। इन प्रोपोर्शन टू पापुलेशन अगर किया जाता है तो 134 बनेंगी। मेरा एक एप्रिहैंशन है। यह बात नहीं है कि दूसरे आदमियों का मैंने ठेका ले लिया है। ठेका अगर चलेगा तो पहले गरीबों का, हरिजनों का पिछड़े आदमियों का चलेगा, उनका उठाऊंगा। जो नानहरिजन हैं उनके पेट में कुछ न कुछ है लेकिन इनके तन पर कपड़ा नही है, खाने को रोटी नहीं है, मुलाजमत इनके पास नहीं है। इस वास्ते कोई चीज होगी तो पहले इनके वास्ते होगी और होनी चाहिए। जब समाज में ये बराबर आ जाएंगे तब दूसरों के लिए कोई दूसरी बात हो सकती है। लेकिन कुछ मुश्किलात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

मेरी जानकारी में यह आया है कि अगर 133 सीटें बना दी जाएं तो उसमें यूनियन टैरिटरीज जितनी भी है, मनीपुर है, गोआ है, दमन, दीव आदि हैं, पांडीचेरी है, यहां की सारी की सारी सीट्स जनरल में नहीं आएंगी, ये सारी रिजर्व सीट्स में चली जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इसका आप कोई न कोई हल अवश्य

तलाश करें। पूरी की पूरी यूनियन टैरिटरीज पांच या सात—

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर) : इसमें हर्ज की क्या बात है।

श्री रणधीर सिंह : कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन फिर भी - -

श्री शम्भू नाथ : हमारी आबादी है तो क्यों नहीं देते।

श्री रणधीर सिंह : मैंने पहले कहा है कि 133 सीटें पूरी की जाएं।

श्री शम्भू नाथ : इतने दिनों तक राज किया है और अब जब ये हमारे पास आती हैं तो इसमें तकलीफ की क्या बात है। पापुलेशन के मुताबिक हमारे पास आती हैं तो क्यों आप चिल्लाते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्ज क्यों बहाते हैं ?

श्री रणधीर सिंह : मैं साफ तौर पर और कैटेगोरिकली कहता हूँ कि 133 सीटें पूरी की जाएं। लेकिन इससे पहले की यह बिल पास किया जाए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें श्री सूरजभान जी हों, दूसरे भाई हों और वहां देखा जाए कि गवर्नमेंट के लेवेल पर यह बात हो सकती है या नहीं और अगर हो सकती है तो वहां इसको कर लिया जाए और अगर वहां नहीं होती है तो मैं इस बात के हक में हूं कि 133 सीटें पूरी की जाए और तब फिर चाहे गोआ, दमन, दीव भी क्यों न इसमें शामिल कर लिए जाएं और मेरा रोहतक का हलका भी क्यों न इसमें आ जाए। इस वास्ते गलतफहमी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हरिजंज की एक वाच डाग कमेटी है, उसमें इस मामले को डिसकस किया जाए। सभी पार्टीज के हरिजन इसको देखें। जल्दी में हम इसको न कर लें। अगर मिल बैठकर कोई हल निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो मैं इस बात के साफ हक में हूं कि इन प्रोपोर्शन टू पापुलेशन सीट्स इनको मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहियें, लाजमन मिलनी चाहियें। हर बात को सियासी रूप न दिया जाए। सारी पार्टीज के लोग बैठ कर अगर कोई हल निकालें और हमारे ये भाई संतुष्ट हो जाए तो ठीक है और अगर हल नहीं निकलता है तो मैं चाहूंगा कि जो सूरज भान जी का बिल है, इसको मान लिया जाए।

श्री सूरज भान ने जो बात उठाई है उसके मैं सौ फीसदी हक में हूं। कोई वजह नहीं है कि नान-हरिजंज, नान-शैड्यूल्ड कास्ट्स का हिस्सा काटकर इनको न दिया जाए। अब अगर बीस परसेंट या पच्चीस परसेंट इनको मिलता है तो उससे भी ज्यादा इनको मिले, तीस परसेंट इनको दिया जाए। जजबाती तौर पर मैं नहीं कह रहा हूँ मैं महसूस करता हूँ कि हजारों साल से हम इन लोगों पर अत्याचार करते आ रहे हैं। उसका हमको कुछ तो प्रायश्चित करना चाहिये। सैकड़ों सालों से हम खीर खाते आ रहे हैं, पराठे खाते आ रहे हैं और ये रूखे सूखे टुकड़े खाते आ रहे हैं। हरिजन जो गरीबी में पले हैं, उनकी बड़ी बुरी हालत रही है। उनके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय कोई कम्प्लिकेशन पैदा नहीं होनी चाहिए, कांस्टीट्यूशनल आर अदरवाइज। इसका सियासी फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। बजाय इसके कि इसको कोई दूसरा रंग दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि इस पर मिल बैठकर विचार हो। गवर्नमेंट इस चीज को करे। वह अपनी तरफ से बिल लाए बजाय इसके कि श्री सूरज भान को लाना पड़े। आर पी एक्ट में अगर तरमीम करने की जरूरत हो तो तरमीम की जाए। डिलिनिटेशन आफ कांस्टिट्यूएंसीज करने से काम चल सकता हो तो वैसा किया जाए, उनको दुबारा शेप दी जा सकती है।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं सौ फीसदी इसकी हिमायत करता हूं। इस मामले में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिये। चीफ्सूल्ड

[श्री रणधीर सिंह]

कास्ट कमेटी इसका काग्निजेंस ले, ला मिनिस्ट्री ले, कैबिनेट में इसको कंसिडर किया जाए, सीरियसली किया जाए। देर इसमें नहीं लगनी चाहिए। यह जो डिफिकलटी सूरज भान जी ने बताई है यह दूर होनी चाहिए, शिकायत जो है वह दूर होनी चाहिये। मुल्क के, कौम के हित में यही है। मैं इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूँ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : श्री सूरज भान ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं उनसे साफ कहना चाहता चाहता हूं कर बहियां बलि आपनी तजौ पराई आस। यह सरकार निकम्मी है। वह माइनौरिटी सरकार वहां बैठी हुई है। जब मैं उधर से इधर आया तो बड़े मुझ पर डोरे डाले गये, कहा गया कि तुम इधर आ जाओ, हलवा पूरी ले लो लेकिन जब तक मैं उधर था किसी ने घास नहीं डाली। आज पछताते हैं। आज घबराते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह भी फेस टू फेस नहीं बैठ पाती हैं। सवाल अगर पूछते हैं तो घबरा उठते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : मेरा एक एक व्यवस्था का प्रश्न है। शिव नारायण जी ने अभी आरोप लगाया है कि इनको अपनी तरफ मिलाने के लिए सरकारी पार्टी की तरफ से घूस के तौर पर हलवा पूरी और पता नहीं क्या देने की पेशकश की गई। यह बहुत गन्दी आदत है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी निन्दा होनी चाहिए। वर्ना शिव नारायण जी को इसको साबित करना चाहिए।

सभापति महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री शिव नारायण : उधर बैठे हुए लोग शंख बजा रहे हैं, गुलामी झेल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है ...(इंटरप्शंज)...लफंगाई बातें करते हो। लाखों रुपया खा जाते हैं वहां बैठ कर।

यह जो नई कांग्रेस बनी है और जिसको बने नौ दिन हुए हैं उसके प्रेजीडेन्ट मिनिस्टर भी हैं। क्या यह सही नहीं है कि श्री मोहन धारिया, श्री चन्द्रशेखर आदि ने यह कहा है, ओपनली कहा है कि यह चमार दोनों पदों पर कैसे रह सकता है, इसको एक पद खाली करना चाहिये? यह चराग तले अंधेरा, वही बात है। मैं क्या सही नहीं कह रहा हूं।

हाथी के दो दांत हैं। श्री रघु रमैया चले जा रहे हैं। आप देखें कि न श्रीमती गाँधी हैं न चव्हाण साहब हैं और न कोई दूसरा मिनिस्टर है।

एक माननीय सदस्य : ला मिनिस्टर हैं।

श्री शिव नारायण : वह नये आये हैं।

मैं कोई भीख नहीं मांगता हूं। लेकिन आज लड़के निकल पड़े हैं हाथों में पिस्तौल लेकर। बंगाल का नमूना आपके सामने है। एम० ए० पास लड़के हमारे इलाहाबाद में आनन्द भवन के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। दूर नहीं आनन्द भवन के इर्द-गिर्द जाकर आप देख सकते हैं जहां से श्री जनेश्वर मिश्र चुन कर आए हैं। वह प्राइम मिनिस्टर की सीट से चुन कर आए हैं। वह बड़े सोशलिस्ट बनते हैं। वह देखें कि इलाहाबाद में हरिजनों की क्या दशा है। यह सरकार और श्री चरण सिंह की सरकार बहुत बेशर्म हैं। वे हरिजनों की मदद के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।...(व्यवधान)... श्री एस० एम० बनर्जी भी कानपुर के ब्राह्मण हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने कायस्थ की लड़की से शादी की है।

श्री शिव नारायण : वह जरा इस बात की जांच करें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह ठीक है या नहीं। हमारे पढ़े-लिखे बच्चे भूखों मर रहे हैं। गवर्नमेंट में अगर जरा भी हया और शर्म है, तो उसको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर अफ्रीका में कोई निग्रो फुंक गया, तो ये लोग बड़ा शोर मचाते हैं। अगर किसी अन्य देश में कोई अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर घर में चमार पिटता है, उसको गोली मारी जाती है, उन पर जुल्म का नंगा नाच होता है, तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आन्ध्र में जो कुछ हुआ है, उसको सब जानते हैं। मैं श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से कहना चाहता हूँ कि वह याद रखें, हमारे बच्चे उनको ठीक कर देंगे।

इसमें हरिजनों की भी गलती है। यह सरकार समझती है कि हरिजनों की वोट उसकी जेब में हैं। मैं जगजीवन राम और साधूराम को चैलेंज करके कहना चाहता हूँ कि अब हरिजन अपने वोट इन निकम्मों को नहीं देंगे वे बनर्जी और कम्युनिस्टों को वोट देंगे मुझको देंगे, लेकिन इन निकम्मों को नहीं देंगे। जगजीवन भवन बनता है, कला भवन बनता है, लेकिन गरीब हरिजनों की झोंपड़ियां बनाने के लिए पैसा नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हरिजनों से मजाक करना छोड़ दे। आज सवेरे मैंने ला मिनिस्टर से कहा था कि एक चमार उनकी मदद को आया है, लेकिन वह फालो नहीं कर सके।

मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं हैं हम जाग चुके हैं। 'उरूजे-कामयाबी पर कभी हिन्दुस्तान होगा।" हम उरूज पर हैं, जब कि ये लोग जवाल की तरह जा रहे हैं। हमारे नौजवान पढ़-लिख रहे हैं, उनमें जागृति आ रही है। मैं नये ला मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वह पिछले ला मिनिस्टर, स्वर्गीय श्री गोविन्द मेनन, की तरह हरिजनों की मदद करें। I must praise him. He was a good man. He was a good Law Minister. He always came to the aid of the Harijans. I want that Shri Hanumanthaiya should copy him.

"गरीबों को मिले रोटी, तो मेरी जान सस्ती है, "भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने यह नारा दिया था। जिन बलिदानी और त्यागी वीरों के खून से इस देश को आजादी मिली है और इन लोगों की सरकार बनी है, उनके इस नारे और सन्देश को भूलना नहीं चाहिए। हरिजनों की कदर की जानी चाहिये। वर्ना जब यह वैलकेनो उबलेगा, तो इन लोगों का राजसिंहासन ढह कर रह जायेगा। मैं इन लोगों के साथ जायन करने के लिए तैयार हूँ, अगर सर्विसिज में यू० पी० में 18 परसेन्ट रिजर्वेशन और यहां पर 12 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दिया जाये। You are not going to do that; you are bluffing the poor Harijans. They are not going to vote for you any more. Tell Shrimati Indira Gandhi frankly that let her be careful, for no Harijan is going to vote for her and no ballot paper is going to be put into the ballot box any more for her. श्री जगजीवन राम, श्री साधूराम और श्री रणधीर सिंह को सचेत रहना चाहिए। वे गाल न बजायें। वे जो कुछ कहें, सही कहें। श्री सूरजभान ने कोई ज्यादती नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हमें जितना देने का वादा किया गया है, उतना तो हमें दिया जाये। उन्होंने कोई अलग पाकिस्तान नहीं मांगा है।

Kindly tell your Government that they should act according to it. It is for your good that you must do it. If you do it, we will join hands with you. I say this frankly. If you do not come out and honstly do it, we will say good by to you. Let me also frankly tell you that it is because they have not done it that I am here on this side. How I wish that Dr. Ram Manohar Lohia were alive today!

जब मैं उस तरफ बैठता था, तो डा० लोहिया ने कहा था कि इस देश के 27 करोड़ लोग साढ़े तीन आने रोज पर गुजारा करते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि पन्द्रह आने रोज पर और श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा था कि

[श्री शिव नारायण]

साढ़े सात आने रोज पर। मैंने कहा था कि तीनों का औसत चार आने होगा। डा० साहब ने कहा था कि तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहां है। उनकी बात सत्य निकली है। आई एम दि हैपियेस्ट मैन इन दि हाउस टुडे। यह उस महान आदमी की देन है। उसकी भविष्यवाणी ठीक निकली है।

मैं आप से अनुगृहीत हूं कि आप ने इस पवित्र संशोधन पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने नौजवान साथी, श्री सूरजभान, को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह हरिजनों के लिए आवाज उठायें, हरिजन समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं उसका निन्दक नहीं हूं। मैं उसका रक्षक हूं। मैं चाहता हूं कि वह सही मानों में जनता की सेवा करे और हरिजनों को ऊपर उठाये।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव): सभापति महोदय, श्री सूरजभान ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, वह कृपा करके इस विधेयक के के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बताते हुए सबसे पहले मंत्रि परिषद् का ब्यौरा दें कि भारत सरकार ने सरकारी सर्विसिजे में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए जो साढ़े बाईस परसेंट के रिजर्वेशन का आदेश जारी किया है, क्या वह रिजर्वेशन मंत्रि-परिषद् में पूरा किया गया है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या विधान सभाओं, लोक सभा और सरकारी नौकरियों की सभी श्रेणियों में यह रिजर्वेशन पूरा किया गया है क्लास वन और क्लास टू में यह रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन सरकार को उनमें भी रिजर्वेशन करना चाहिए। जो मंत्रि-परिषद् कानून बनाती है, जब उसमें ही साढ़े बाईस परसेन्ट का रिजर्वेशन नहीं है, तो वह फिर कैसे प्रशासन को आदेश दे सकती है और कैसे उसका पालन करा सकती है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपने भाषण को अगली बार जारी रखें अब हम हाफ-एन-आवर डिसकशन को लेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि): सभापति महोदय, हाफ ऐन अवर डिस्कशन से पहले आप एक मिनट आचार्य कृपालानी जी को अपना विधेयक पेश करने की इजाजत दे दीजिए। एक मिनट में वह मूव कर देंगे।

सभापति महोदय: मेहरबानी करके आप उसे छोड़ दीजिए। वह अब नहीं हो सकता। अब दूसरा विषय लिया जाने वाला है।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I have got every respect for Shri Kripalani and I have no objection to his moving his Bill, but procedurally unless the discussion on one the Bill is over, the other is not moved

MR. CHAIRMAN: That is why I am requesting him not to move.

श्री शिवनारायण: आचार्य जी का इतने दिनों से चल रहा है, एक मिनट आप उन्हें मूव क्यों नहीं कर लेने देते?

सभापति महोदय: नहीं, नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): The D.M.K. have no objection to his Bill. We only point out the procedural difficulty. If he can overcome that, we shall welcome it.

MR. CHAIRMAN: I am sticking to the procedure. So I am requesting him not to move it.

श्रीमती शारदा मुकर्जी: मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह रूल सस्पेंड कर दिया जाय।

SHRI RANGA (Srikakulam): You can suspend the Rule and allow him to introduce it.

MR. CHAIRMAN : Please excuse me.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : रूल सस्पेंड कर के जरा इनको मूव कर लेने दीजिये ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं भी यह कहूंगा कि आचार्य कृपालानी जी को मूव कर लेने दिया जाय ।

SHRIMATI SHARADA MUKERJEE : I move that the Rule be suspended

SHRI S. KANDAPPAN : I support it.

सभापति महोदय : यह नहीं हो सकता । यह नियम का मामला है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह इसे छोड़ दें हमारी उनके लिए कम रेस्पेक्ट नहीं है ।

We shall now take up the Half an-hour Discussion.

17.31 hrs.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

Construction of Fertilizer Plants

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर मैं चर्चा उठाने जा रहा हूं वह देश का एक महत्वपूर्ण विषय है । हम हिन्दुस्तान में बराबर यह देख रहे हैं कि वर्षों से और सदियों से यह कृषि-प्रधान देश रहा है । हमारी 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और गांवों का मूल आधार कृषि है । यदि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही और यदि हमने देश के किसानों और उनकी कृषि की तरक्की नहीं की तो निश्चित रूप से मानिये उसका असर हमारी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर पड़े बिना नहीं रहेगा । और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों में हम खाद्यान्न की दृष्टि से दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं । आजादी के बाद यह आवश्यकता थी कि हम अपने देश को परावलम्बी न होने देते और खाद्यान्न के उत्पादन में इतनी तेजी से प्रगति करने कि हमें दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं होना पड़ता । लेकिन चूंकि इस पुरातन देश में कृषि के आधुनिक औजार, कृषि का वैज्ञानिकरण और खेती के बारे में जो नये-नये प्रयाग होने चाहिए थे वह हम नहीं कर सके और किसानों को जो उसके लिए प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए जो साधन सुविधायें मिलनी चाहिए उसका उपयोग हम नहीं कर सके परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के अन्दर न हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके, न हम अपने देश की आर्थिक नीति और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके और न अपनी सामाजिक व राजनैतिक स्थिति को मजबूत बना सके । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आज अगर हम अपने देश के अन्दर यह चाहते हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हम किसी पर निर्भर न रहें और हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर रहने वाले करोड़ों-करोड़ों किसान भाई, और गांवों में रहने वाले लाखों परिवार उन्नत हों, उन्हें हम उन्नत देखना चाहते हैं तो हमें उर्वरकों निर्माण के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उस के विकास के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा । श्रीमन्, आंकड़े बताते हैं कि उर्वरकों का निर्माण हमारे यहां हो रहा है । एक फर्टिलाइजर कारपोरेशन है जिसके अन्तर्गत कई कारखाने चल रहे हैं और इसके अलावा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई कारखानों के द्वारा हमने खाद का निर्माण किया है । लेकिन जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी आदत पड़ गई है कि हम किसी क्षेत्र में जब कभी लहर आती है तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम उसके लिए फीडिंग ऐटमास्फेयर तैयार नहीं करते । हमने कहा कि हमें इंजीनियर चाहिए देश के लिए, हमें टेकनीकल आदमी चाहिए, हमें डाक्टर चाहिए और हमारे देश ने इंजीनियर तैयार किए, डाक्टर तैयार किये लेकिन हम उन्हें काम नहीं दे सके । ठीक इसी तरह से जब यह वातावरण पैदा हुआ कि हम अपने देश किसानों को अधिक